# न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या 01 / 2024 जिला अजमेर

**पीठासीन अधिकारी का नामः– श्रीमती मोनिका जाखड**

1. कोमल कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह
2. निकिता कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह
3. गुंजन कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह नाबालिग जरिए प्राकृतिक वली बडी बहन कोमल कंवर

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

––– वादी

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
2. लादू सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
3. कान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
4. शम्भू सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
5. दरियाव सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
6. सरोज कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
7. नीतू कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
8. निशा कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, अजमेर
10. उपपंजीयक महोदय घुघरा घाटी अजमेर
11. श्रीमती सोहनकंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ए–के–गोपालन नगर, प्लांट नं. 337, खातीपुरा जयपुर।
12. श्रीमती पदमकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री किशनसिंह
13. श्रीमती दुर्गाकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री सुल्तानसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

––– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

| | |
|---|---|
| 1. श्री मौहम्मद इकबाल | अभिभाषक वादीयागण |
| 2. श्री अजीत सिंह राठौड | अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 11 व 12 |
| 3. सविता चौहान | अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 13 |

## निर्णय

दिनांकः– 05 / 09 / 2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर के खसरा खाता संख्या 1492 के खसरा नंबर 463 रकबा 0.32 हैक्टेयर खसरा नंबर 1160 रकबा 1.10 हैक्टेयर मे अवस्थित। उक्त आराजीयात वादीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें वादीयागण के दादा श्री हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है तथा वादीयागण प्रतिवादी संख्या 1 हुनमान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह के पुत्र स्व. श्री सुल्तान सिंह की पुत्रीयां होने से श्री हनुमान सिंह की पौत्रीयां है जिनका हिन्दू विधि के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में बाय वर्थ हक व हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सिंह का 1/3 हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके अनुसार वादीयागण का अपने पिता स्व. श्री सुल्तान सिंह के 1/15 हिस्से के अनुसार प्रत्येक वादीयागण का 1/45–1/45 हिस्सा बनता है। उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसार वादीयागण वादग्रस्त आराजीयात की उदघोषणा खातेदारी विरासतन हक व हिस्से के अनुसार जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होती है, उदघोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। जिसके लिए वाद पत्र वास्ते उदघोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया जा रहा है साथ ही वादग्रस्त आराजीयात में वादीयागण के विरासतन प्राप्त हक व हिस्से का वादीयागण, प्रतिवादीगण से बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा प्राप्त करने की अधिकारी है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात का आज दिवस तक बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नही हुआ है। जिससे वादीयागण वादग्रस्त आराजीयात में अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादग्रस्त आराजीयात में वाद उदघोषणा खातेदारी वादीयागण प्रत्येक के 1/45–1/45 हिस्से की खातेदारी उदघोषणा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 से बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा किया जावे। एवं वादग्रस्त आराजीयात पर जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें वे वादीयागण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करें ना ही करावें।

05/09/24
सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा दिनांक 07.06.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश किया जिसे प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.07.2024 को नोट प्रेस कर लिया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक सहदायिकों के हिस्से अनुसार वाद डिक्री किये जाने का दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषक बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर हनुमान के विधिक वारिसानों को प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 के रूप में मूर्तिव किया गया तथा वादी अभिभाषक को संशोधित शीर्षक पेश किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना वादी अभिभाषक द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सिंह पुत्र दीनसिंह के 4 पुत्र एवं एक पुत्री है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 सहित 1/3 हिस्से की आराजीयात में सभी का बराबर का हिस्सा निहित होने से प्रत्येक का 1/18-1/18 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के मृत पुत्र सुल्तान सिंह पुत्र हनुमान सिंह के वारिसान में दुर्गा कवर पत्नी सुल्तान प्रतिवादी संख्या 13 एवं 3 पुत्रीयां यथा वादीयागण है जिनका प्रत्येक का 1/72-1/72 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के मृत पुत्र किशनसिंह की पत्नी पदम कंवर प्रतिवादी संख्या 12 एवं 3 पुत्रीयां प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 8 है जिनका प्रत्येक का 1/72-1/72 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र शम्भूसिंह प्रतिवादी संख्या 4 एवं दरियाव सिंह प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1/18-1/18 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री सोहनकंवर प्रतिवादी संख्या 11 का 1/18 हिस्सा निहित है। उक्त हिस्सों के अनुसार उक्त वाद पत्र डिक्री करने में प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। अतः उक्त हिस्सों के अनुसार न्यायिक बंटवारा किया जाकर अपने-अपने हिस्से में आई आराजीयात का सभी के नाम पृथक-पृथक खाते कायम कर मौके पर भी पृथक-पृथक काबिज कराने एवं नक्शा ट्रेश में भी उक्त हिस्सों अनुसार आदेश प्रदान कर बंटवारा आज्ञप्ति जारी फरमावें। मौखिक बहस में वादी अभिभाषक द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा उक्तानुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए आदेशिका में हस्ताक्षर किया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुन कर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2024 का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या. 1 एवं प्रतिवादी संख्या 11 प्रत्येक का 1/18-1/18 हिस्सा, वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 13 प्रत्येक का 1/72-1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 एवं प्रतिवादी संख्या 12 प्रत्येक का 1/72-1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1/18-1/18 हिस्सा निहित है। उक्त हिस्से अनुसार उपरोक्त पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार अजमेर को निर्देशित कियां उपरोक्तानुसार सभी के नाम पृथक-पृथक से खाते कायम कर, वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों (नियम 18 से 21) की पालना कराते हुए किस्म, मूल्य व लगाने के आधार पर उभय पक्ष की मौजूदगी में भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में नक्शा भिन्न-भिन्न रंगों का दर्शाते हुए न्यायालय में 30 दिन में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये।

उक्त आदेश की पालना में सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2024 को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विभाजन प्रस्ताव पृथक-पृथक रंगो से दर्शाकर नक्शे सहित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जो कि दिनांक 27.08.2024 को शामिल मिसल की गई। तत्पश्चात वादीयागण अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.09.2024 को प्रार्थना अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 जा. दी. प्रस्तुत कर राजस्व वाद से खसरा नंबर 1166 पर राजीनामा हो जाने से विड्रो किये जाने की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर शेष खसरा नंबर 463 का उक्त विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | नाम खातेदार | प्रस्तावित खसरा नं. | किस्म | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लादूसिंह पुत्र स्व. दीन सिंह सा. खातेदार हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर। | 463/1 | चाही-1 | पीले रंग से दर्शित है। |

05/09/24
सहायक [illegible] (रा.), अजमेर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कानसिंह पुत्र स्व. दीन सिंह सा. खातेदार हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर। | 463/3 | चाही–1 | गुलाबी रंग से दर्शित है। |
| | हनुमान पुत्र स्व. दीन सिंह, सोहन कंवर पुत्री हनुमान सिंह, शम्भू सिंह पुत्र हनुमान सिंह, दरियाव सिंह पुत्र हनुमान सिंह प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, पदम कंवर पत्नी किशन सिंह, सरोज कंवर, नीतू कंवर, नीलम उर्फ निशा राठौड पुत्रीगण स्व. किशन सिंह प्रत्येक का 1/72 हिस्सा सा. खातेदार कुल हिस्सा 5/18 जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर। | 463/2 | चाही–1 | केसरिया रंग से दर्शित है। |
| 4. | दुर्गाकंवर पत्नी स्व. सुल्तान सिंह व कोमल कंवर, निकिता कंवर गुंजन कंवर पुत्रीगण स्व. सुल्तान सिंह प्रत्येक का 1/72 हिस्सा कुल हिस्सा 1/18 जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर। | 463/4 | चाही–1 | हरा रंग से दर्शित है। |

उभय पक्षकारान को उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार का उज एतराज या आपत्ति न्यायालय में प्रकट नहीं हुई। चूंकि हाजा न्यायालय द्वारा आराजीयात बाबत दिनांक 25.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तावित कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024 के अनुसार खसरा नंबर 463 में वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारे की अंतिम आज्ञप्ति जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादीयागण एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात बंटवारे में आई आराजीयात बाबत एक–दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार का दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि में बंटवारा प्रस्ताव में दर्शित रंगों के अनुसार वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करावे एवं उसी अनुसार नक्शे में पृथक–पृथक रेखांकित किया जावे। उक्त आशय की अंतिम डिक्री आज दिनांक 05.09.2024 को जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/09/24

(मोनिका जाखड़)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
अजमेर

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित**

**मुकदमा नम्बरः–01 / 2024**

1. कोमल कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह
2. निकिता कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह
3. गुंजन कंवर पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह नाबलिग जरिए प्राकृतिक वली बडी बहन कोमल कंवर

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

——— वादीयागण

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
2. लादू सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
3. कान सिंह पुत्र स्व. श्री दीन सिंह
4. शम्भू सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
5. दरियाव सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
6. सरोज कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
7. नीतू कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
8. निशा कंवर पुत्री स्व. श्री किशन सिंह पुत्र हनुमान सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, अजमेर
10. उपपंजीयक महोदय घुघरा घाटी अजमेर
11. श्रीमती सोहनकंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ए–के–गोपालन नगर, प्लांट नं. 337, खातीपुरा जयपुर।
12. श्रीमती पदमकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री किशनसिंह
13. श्रीमती दुर्गाकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री सुल्तानसिंह

    समस्त जाति राजपूत निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

दिनांकः– 05.09.2024

वादीयागण अभिभाषक श्री मौहम्मद इकबाल एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक अजीत सिंह राठौड व सविता चौहान असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर के खाता संख्या 1492 के खसरा नंबर 463 रकबा 0.32 हैक्टेयर में वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारे की अंतिम आज्ञप्ति जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादीयागण एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात बंटवारे में आई आराजीयात बाबत एक–दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार का दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि में बंटवारा प्रस्ताव में दर्शित रंगों के अनुसार वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करावे एवं उसी अनुसार नक्शे में पृथक–पृथक रेखांकित किया जावे। उक्त आशय की अंतिम डिक्री आज दिनांक 05.09.2024 को जारी की जाती है।

05/09/24

(मोनिका जाखड)

सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर

**वाद के खर्चे**

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4–........रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय<br>6–कमिश्नर की फीस<br>7–आदेशिका की तामिल | | शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय<br>आदेशिका की तामिल<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड | |

(मोनिका जाखड)

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमती केसर बनाम [illegible] सिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मु. नं. 01/2024 |
|---|---|
| 27/08/24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि० उप०। तहसीलदार अजमेर से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण अधि० ने कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, निवेदन किया गया। पत्रावली दिनांक 23/09/24 को पेश हो।<br>[illegible]<br>सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर |
| 03/09/24 | वादीगण अधि० ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली दिनांक 05/09/24 को नियत कि जावे। वादीगण के अधि० के निवेदन पर प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली दिनांक 05/09/24 को पेश हो।<br>[illegible]<br>सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर |
| 05/09/24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि० व वादीगण उप०। वादीगण अधि० ने प्रा० पत्र 23 R 1 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी राजस्व वाद में खसरा नं. 1166 बाबत पक्षकारान के मध्य सहमति हो गयी है जिसमें वादीगण के हक व अधिकारों के संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा उनका हिस्सा बाहरी सहमति से लिखित पढ़त होकर दिया जाना तय किया गया है, जिससे वादीगण के द्वारा खसरा नंबर 1166 के बाबत वादपत्र इसी स्तर पर विड्रो किया जा रहा है और भविष्य में भी आराजी खसरा नंबर 1166 बाबत कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। वादपत्र में दिनांक 03.01.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए आराजी खसरा नंबर 1166 के बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया था जो दिनांक 25.07.2024 को वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक कन्फर्म किया गया। उक्त स्थगन आदेश को भी आराजी खसरा नंबर 1166 की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वादपत्र में खसरा नंबर 1166 पर राजीनामा हो जाने से विड्रो किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे साथ ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2024 जिसे दिनांक 25.07.2024 को कन्फर्म किया गया को भी खसरा नंबर 1166 की हद तक निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। प्रा० पत्र की प्रति प्रतिवादीगण अधि० को दिलाई गई। प्रतिवादीगण अधि० द्वारा प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हुए सहमति प्रदान की। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 23 R 1 जा० दी० स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर राजस्व वादपत्र सं. 01/24 व रा० प्रा० पत्र सं. 1/24 से खसरा नंबर 1166 को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा स्थगन आदेश दिनांक 03.01.2024 व अंतिम निर्णय दिनांक 25/07/2024 को खसरा नंबर 1166 पर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अजमेर से दिनांक 27/08/2024 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के संबंध में उभयपक्षान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधि० द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की। निर्णय पृथक से लिखाया व सुनाया जाकर वा० डि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज।<br>[illegible]<br>सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर |

Reader

Presented by Ad. Idris Mohd. [illegible]

[illegible]

निशानी (?) [illegible]

Identified by [illegible] 5.9.24

[illegible] 5.9.2024